

शुद्धि पत्र

उद्योग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2491, दिनांक-11.07.2016 द्वारा ₹78.51 लाख (अठहत्तर करोड़ एकावन लाख) मात्र राशि की स्वीकृति की गयी है। जिसमें से ₹1000.00 लाख (दस करोड़) मात्र संभावित बचत है। जिसे औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति मद में पूर्व में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त उक्त संभावित बचत राशि को वाणिज्य कर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

1. अतः उद्योग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2491, दिनांक-11.07.2016 के कंडिका-1 एवं 3 को निम्न प्रकार से संशोधित की जाती है, तदनुसार इसे इसप्रकार पढ़ा जाय :-
2. स्वीकृत राशि ₹78.51 लाख (अठहत्तर करोड़ एकावन लाख) मात्र के स्थान पर ₹68.51 लाख (अड़सठ करोड़ एकावन लाख) मात्र पढ़ा जाय।
3. विपत्र कोड- P2852801020160 के विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी मद से ₹6117.00 लाख (एकसठ करोड़ सत्तरह लाख) के स्थान पर ₹5117.00 लाख (एकावन करोड़ सत्तरह लाख) मात्र पढ़ा जाय।
4. 'राज्यादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगे।

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

०३/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-०२/२०१५

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

०३/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-०२/२०१५

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

०३/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-०२/२०१५

प्रतिलिपि:-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सह प्रशाखा पदाधिकारी खादय प्रसंस्करण निदेशालय(दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

क्रमशः पृष्ठ-०२ पर ..

ज्ञापांक:-...../

03/उ०नि०/योजना(औ०प्र०नीति) -02/2015

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- निदेशक, खादय प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 16-2-17

ज्ञापांक:- 430...../

03/उ०नि०/योजना(औ०प्र०नीति) -02/2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक (तक०), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 (उ०नि०), उद्योग निदेशालय/प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 (सरकार), योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।